(76)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PB पीबीआर /निगरानी/धार/भू.रा./2017/4031 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-09-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2016-17

---

कृष्णदास पिता बद्रीदास बैरागी,
निवासी ग्राम दसई
तहसील सरदारपुर, जिला धार .....आवेदक

**विरूद्ध**

1. ईश्वरदास पिता मोहनदास बैरागी,
2. भगवतीदास पिता मोहनदास बैरागी,
3. पूनीबाई बेवा मोहनदास बैरागी,
   निवासीगण ग्राम दसई
   तहसील सरदारपुर, जिला धार .....अनावेदकगण

---

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री विक्रान्त होल्कर, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 21-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण तहसीलदार, सरदारपुर द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 78 में पारित आदेश दिनांक 12-3-2003 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर जिला धार के समक्ष दिनांक 2-9-16 को 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की

धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/2016-17/अपील दर्ज कर दिनांक 29-11-16 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-9-2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

1) अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सहमति से पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है, जबकि विधि अनुसार सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैध, अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 2016 आर.एन. 182 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत है ।

2) अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि उभयपक्षों द्वारा आपसी सहमति से वर्ष 2003 में नामांतरण आदेश स्वीकृत कराया गया था एवं उक्त नामांतरण पंजी में सहमति बतौर उभयपक्षों ने हस्ताक्षर भी किये थे तभी से उक्त भूमियों पर आवेदक का स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का एकल नाम निरंतर दर्ज चला आ रहा है, जिसकी जानकारी अनावेदकगण को प्रारम्भ से होने के बावजूद भी उनके द्वारा लगभग 13 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है । इस तर्क के समर्थन में 2015 आर.एन. 107 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत है ।

3) अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों व उद्देश्यों को समझे बगैर 13 वर्षों पूर्व सहमति से हुए नामांतरण आदेश को निरस्त करने बाबत अन्यायपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क से समर्थन में 2000 आर.एन. 153 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत है ।

4) अपर आयुक्त द्वारा इस विधिक बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील समयावधि बाह्य होने के आधार पर निरस्त हुई थी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को गुण-दोषों पर निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश अधिकारिता रहित है और ऐसे अधिकारिता रहित आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप न तो नामान्तरण और न ही बटवारा नियमों के अन्तर्गत है । अत: स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को समय-सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर प्रकरण का निराकरण नहीं कर, गुण-दोष पर पर करना चाहिए था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये हैं, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखा जाये । तर्कों के समर्थन में 2015 आर.एन. 41, 1995 आर.एन. 27, 1994 आर.एन. 302 एवं 2016 आर.एन. 34 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी में जो आदेश पारित किया गया है, वह बटवारा आदेश नहीं होकर अभिलिखित भूमिस्वामियों के नाम कम किये गये हैं, जबकि सहमति के आधार पर भी नामान्तरण पंजी पर सहखातेदारों के नाम कम नहीं किये जा सकते । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आलोच्य आदेश संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत न तो नामान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत है और न ही बटवारा प्रक्रिया के अन्तर्गत है । तहसीलदार के आलोच्य आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि तहसीलदार द्वारा किस बटवारा आदेश से सहखातेदारों को किन ग्रामों में भूमि बटवारे में मिलने पर, किस नियम के तहत सहखातेदारों के नाम कम किये गये हैं । यदि ऐसा कोई संयुक्त खाता था तो बटवारे हेतु बटवारे का प्रकरण दर्ज कर विधिवत बटवारा किया जा सकता है और यदि केवल सहखातेदार के नाम कम करना था तो बिना हक त्याग विलेख के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी यह माना गया है कि नामान्तरण पंजी में नाम कम करना न तो नामान्तरण के अन्तर्गत आता है और न ही बटवारा के अन्तर्गत आता है । अत: स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अधिकारिता रहित है और ऐसे आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब क्षमा करना चाहिए था । इस संबंध में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 5-परिसीमा का प्रश्न-आदेश अधिकारिता रहित-ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपिति किया जा सकता है ।"

इसी प्रकार 2015 आर.एन. 41 मूलाराम जोशी तथा एक अन्य विरूद्ध मदन लाल जोशी उर्फ मदन मोहन जोशी तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादति किया गया है कि अधिकारिता रहित आदेश के विरूद्ध समय वर्जित अपील तकनीकी आधारों पर भूमिस्वामी को उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता है । अत: आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 21-09-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर